भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1895

दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

.....

नदियों के तलों पर गाद का जमाव और अतिक्रमण

1895. श्री सुदामा प्रसाद:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बिहार के भोजपुर जिले से होकर बहने वाली नदियों के तलों पर बढ़ते अतिक्रमण और उनमें बालू तथा गाद के जमाव, जिससे सिंचाई और नदी का प्रवाह प्रभावित हो रहा है तथा बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है, से संबंधित रिपोर्टों पर संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भोजपुर जिले में नदियों की जल वहन क्षमता पर गाद के जमाव और अतिक्रमण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई तकनीकी मूल्यांकन या सर्वेक्षण कराया गया है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा बिहार में नदी जीर्णोद्धार, बाढ़ प्रबंधन, तटबंधों के सुदृढ़ीकरण और गाद निकालने के कार्यों के लिए स्वीकृत और जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रभावित क्षेत्रों में नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बहाल करने, सिंचाई क्षमता में सुधार करने और बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): नदी तलों की सुरक्षा, वहां से अतिक्रमण हटाना, नदी पुनरूद्धार और बाढ़ एवं सिंचाई प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है, जो अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार ऐसे कार्यकलाप करते हैं। बिहार सरकार ने सूचित किया है कि गंगा और सोन नदियां भोजपुर जिले से होकर बहती हैं और जिले के अधिकांश क्षेत्रों में नदियां तटबंधों से घिरी हुई हैं।। बिहार सरकार ने यह भी सूचित किया है कि वर्तमान में गंगा नदी तल पर कोई गंभीर अतिक्रमण नहीं है जो सिंचाई अथवा बाढ़ प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो और भोजपुर जिले में नदियों की वहन क्षमता पर गाद के जमाव और अतिक्रमण के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ): भारत सरकार सिंचाई क्षमता के सृजन और पुनरूद्धार के उद्देश्य से "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" (पीएमकेएसवाई) कार्यान्वित कर रही है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी) पीएमकेएसवाई के घटक हैं और सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) और जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर) की योजनाओं को पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत शामिल किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, बिहार सरकार को पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत 224.95 करोड़ रुपये और पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत 13.88 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य में विभिन्न परियोजनाओं/कार्यकलापों जैसे अपशिष्ट जल अवसंरचना, घाटों और श्मशान घाटों का विकास, वनीकरण, जैव-विविधता संरक्षण आदि के लिए 1552.05 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

केन्द्र सरकार बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी का विकास, समुद्री कटाव-रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) कार्यान्वित कर रही है। एफएमबीएपी योजना के तहत, पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार सरकार को 206.708 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

नदी के बाढ़ के मैदानों के वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा देने और अंधाधुंध अतिक्रमण को रोकने के लिए, जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बाढ़ प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में बाढ़ मैदान क्षेत्रीकरण को अपनाने की आवश्यकता पर लगातार बल दिया है। इस संबंध में, जल शक्ति मंत्रालय ने अगस्त, 2025 में बाढ़ मैदान क्षेत्रीकरण (एफपीजेड) संबंधी तकनीकी दिशानिर्देश जारी किए और इसे अपनाने और कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया।
